



राजि. नं. एल. डब्ल्यू. / एन. नो. 890

साहसंस्त नं० डब्ल्यू० पी०-४१

साहसंस्त ट्वास्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 जनवरी, 1999

श्री 25, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि अनुभाग-5

संख्या 68/12-5-99-600 (287)-81 टो 0 से 01

लखनऊ, 11 जनवरी, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डल अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, मन् 1964) की धारा 26-ए के अधीन अधिनियम का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डल परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डल परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 का संशोधन करने की दृष्टि से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डल परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (संशोधन) विनियमावली, 1999

1 (1) — यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डल परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (संशोधन) विनियमावली, 1999 कहे जाएंगी।

(2) — यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

संज्ञित नाम और प्रारम्भ

2. In the Uttar Pradesh State Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984, in regulation 10, in sub-regulation (2) for the existing clause set out in column I below the clause as set out in column II shall be substituted, namely:—

Amendment of regulation 10

COLUMN—I

Existing clause

(b) 50 per cent posts in class B shall be filled by promotion and 50 per cent by direct recruitment.

COLUMN—II

Clause as hereby Substituted

(b) 50 per cent posts in class B shall be filled by promotion and 50 per cent by direct recruitment:

Provided that with respect to the cadre of Assistant Engineer 8.33 per cent posts out of promotion quota shall be filled from amongst substantively appointed Junior Engineers who possess Bachelor's degree in Engineering from a recognized institution or are Associate Members of Institution of Engineers (India).

S. K. TRIPATHI
Agricultural Production Commissioner,
Chairman,
Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad,
Uttar Pradesh.

SHATRUGHNA SINGH
Member Secretary,
Director of Mandi Parishad

By order,
A. K. DUGGAL,
Vishesh Sachiv,

Regulation :—

- (1) First published on June 30, 1984 vide No. 3879/XII-5-600 (207) 31
- (2) Amended on March 5, 1991 vide No. 733/XII-5-91-600 (287)-83